न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 13/2018

अपीलान्ट्स

जगाराम पुत्र फूलाराम, जाति भील, निवासी सुबदण्ड तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

1. राज्य सरकार जरिये पटवारी।
2. तहसीलदार लुणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तहसीलदार, लुणी मु0 नं0 112/17 बअनवान राज्य सरकार जरिये पटवारी बनात जगाराम, निर्णय दिनांक 28.11.2017 को निर्णय पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री ईश्वरसिंह चम्पावत।
2. रेस्पोडेन्ट्स नं0 2 तहसीलदार लूणी उपस्थित।

राजस्व अपील सं. : 14/2018

अपीलान्ट्स

जोगाराम पुत्र फूलाराम, जाति भील, निवासी सुबदण्ड तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

3. राज्य सरकार जरिये पटवारी।
4. तहसीलदार लुणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तहसीलदार, लुणी मु0 नं0 109/17 बअनवान राज्य सरकार जरिये पटवारी बनात जोगाराम, निर्णय दिनांक 28.11.2017 को निर्णय पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री ईश्वरसिंह चम्पावत।
2. रेस्पोडेन्ट्स नं0 2 तहसीलदार लूणी उपस्थित।

राजस्व अपील सं. : 15/2018

अपीलान्ट्स

पोलाराम पुत्र फूलाराम, जाति भील, निवासी सुबदण्ड तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

5. राज्य सरकार जरिये पटवारी।
6. तहसीलदार लुणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तहसीलदार, लुणी मु0 नं0 111/17 बअनवान राज्य सरकार जरिये पटवारी बनात पोलाराम, निर्णय दिनांक 28.11.2017 को निर्णय पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री ईश्वरसिंह चम्पावत।
2. रेस्पोडेन्ट्स नं0 2 तहसीलदार लूणी उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक : 18.05.2018

यह तीनों अपीलें धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् विरूद्ध आदेश तहसीलदार लूणी द्वारा निर्णय दिनांक 28.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

उक्त सभी तीनों अपीलों के तथ्य मिलते जुलते होने के कारण तथा पक्षकार भी लगभग समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किये जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति पत्रावलियों में सलंग्न रखी जावें।

संक्षिप्त में प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार लूणी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए, बेदखली जैसा आदेश पारित किया है। अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता नियुक्त करने व साक्ष्य सुनवाई का मौका नहीं दिया तथा एक तरफा आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेश पारित करने से पूर्व प्राकृतिक सिद्धांतो का उल्लघन किया है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट का रहवासीय मकान करीब 100 साल पुराने बने हुए है तथा अपीलान्ट करीब 6 पीढ़ीयों से इसी मकान में निवास करते है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। विवादित मकान आबादी भूमि के नजदीक स्थित है इस कारण अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत् कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार उक्त विवादित भूमि का नियमन या आवंटन करना चाहिए था तथा प्रकरण नियमन व आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित करना चाहिए था। अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी

बहस में यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार के परिपत्र सन् 1970 से आज तक वर्ष 2017 से पूर्व पुराना कब्जा होने के कारण नियमन योग्य है। अपीलान्ट अपने परिवार सहित इसी मकान में निवास कर रहा है। अपीलान्ट का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त कब्जे के संबंध में आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, भामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, बिजली के बिल, निर्वाचन कार्ड आदि पेश किये थे। उक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर पुराना कब्जे के संबंध में दस्तावेज पेश किये गये है तो काबिज व्यक्ति को रहवासीय भूमि के रूप में नियमन या आवंटन कर देना चाहिए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी दस्तावेजों की अनदेखी कर प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली जैसा आदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को बीपीएल के तहत रहवासीय मकान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण भी दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार लूणी ने अवगत कराया कि पटवारी हल्का सुबदण्ड की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलान्ट ने ग्राम सुबदण्ड के खसरा नं0 130 रकबा 0.05 बीघा भूमि किस्म गैरमुमकिन मार्ग पर बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरकारी भूमि पर बढ़ते हुए अतिक्रमण को रोकने के लिए नियमानुसार बेदखली का आदेश पारित किया है जो विधि के अनुसार है।

बहस उभय पक्ष मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से अप्रार्थी (अपीलान्ट) को प्रारूप संख्या ''क'' नियम–3 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसकी विधिवत् रूप से तामिल करवाई गई। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री ईश्वरसिंह चम्पावत ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया और अप्रार्थी की ओर से जवाब भी प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में यह भी तथ्य प्रकट हुए कि अपीलान्ट द्वारा अपने अपील में सौ वर्षो से अधिक अपना कब्जा होना जाहिर किया है। जबकि अपीलान्ट अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दिनांक 28.11.2017 को पेश किया। प्रस्तुत जवाब में यह जाहिर किया कि अप्रार्थी (अपीलान्ट) का कब्जा पिछले करीब 30–35 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है। लेकिन अप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ किसी प्रकार का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सकें कि अप्रार्थी का पुराना कब्जा है।

इस प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया की अपीलान्ट द्वारा गाँव सुबदण्ड के खसरा नं0 130 तीनों अपीलान्ट द्वारा 0.05 बीघा भूमि किस्म गैरमुमकिन मार्ग पर बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट बीपीएल परिवार से संबंधित चयनित है और राज्य सरकार ने उनको मकान बनाने हेतु ऋण भी उपलब्ध करवाया है। लेकिन प्रस्तुत अपील मीमो के साथ ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सबित हो सकें कि इन्हें बीपीएल परिवार में चयनित होने के कारण सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया गया हो।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के दौरान राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी पंत्राक क0एफ4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/

2017/1184 जयपुर दिनांक 03.10.2017 की ओर ध्यान दिलाकर कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि को आबादी हेतु सेटअपार्ट कर ग्राम पंचायत को आवंटन की जावें। उक्त पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक भूमि का ही सेटअपार्ट किये जाने का प्रावधान किया है लेकिन विवादग्रस्त भूमि के किस्म गैरमुमकिन मार्ग राजस्व रेकर्ड में अंकित है। गै0मु0 रास्ते की भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित भूमि है। प्रतिबंधित भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2017 को बहाल रखा जाता है एवं मूल रेकर्डमय निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जायें।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर